"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई 2018 — आषाढ़ 28, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-25/2006/1-13. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. प्रस्तावना में, शब्द "सूचना" के पूर्व एवं शब्द "छत्तीसगढ़" के पश्चात्, शब्द "राज्य" अंत:स्थापित किया जाये।
2. नियम 1 में, उप-नियम (1) में, शब्द "सूचना" के पूर्व एवं शब्द "छत्तीसगढ़" के पश्चात्, शब्द "राज्य" अंत:स्थापित किया जाये।
3. अनुसूची-एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निज सहायक	05	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-9	
2.	सहायक ग्रेड-एक	04	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-9	
3.	सहायक प्रोग्रामर	01	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-9	
4.	शीघ्रलेखक	04	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-7	
5.	सहायक ग्रेड-दो	04	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-6	
6.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-6	
7.	सहायक ग्रेड-तीन	07	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-4	
8.	स्टेनो टायपिस्ट	01	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-4	
9.	वाहन चालक	08	तृतीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-4	
10.	भृत्य	15	चतुर्थ श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-1	
11.	चौकीदार	01	चतुर्थ श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-1	
12.	फर्राश	02	चतुर्थ श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-1	
	योग	54			

अनुसूची– दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1)(क) देखिए)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1)(ख) देखिए)	अन्य सेवा के व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा (नियम 6(1)(ग) देखिए)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	निज सहायक	05	–	100%	–	पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में, पद को प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर भरे जायेंगे।
2	सहायक ग्रेड–एक	04	–	100%	–	पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में, पद को प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर भरे जायेंगे।
3	सहायक प्रोग्रामर	01	100%	–	–	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति द्वारा।
4	शीघ्रलेखक	04	75%	25%	–	सीधी भर्ती/पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /संविदा आधार पर ।
5	सहायक ग्रेड–दो	04	–	100%	–	पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में, पद को प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर भरे जायेंगे।
6	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	100%	–	–	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर ।
7	सहायक ग्रेड–तीन	07	75%	25% (किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 10+2 अथवा बारहवी की परीक्षा उत्तीर्ण)	–	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/ संविदा आधार पर।
8	स्टेनो टायपिस्ट	01	100%	–	–	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर।
9	वाहन चालक	08	100%	–	–	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर।
10	भृत्य	15	100%	–	–	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर।
11	चौकीदार	01	100%	–	–	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर।

12	फर्राश	02	100%	—	—	(1) सीधी भर्ती /प्रतिनियुक्ति /संविदा आधार पर। (2) फर्राश के एक पद, कलेक्टोरेट दर द्वारा भरे जायेंगे।

अनुसूची— तीन

(नियम 8 देखिए)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	आयु		विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
		न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, या पुरानी हायर सेकेण्डरी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/ संस्था, शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) तथा मुद्रलेखन परिषद् से:— (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए— हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए— अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ग) द्विभाषीय शीघ्रलेखक के लिए— ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आंपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	

2	सहायक प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी के लिये 35 वर्ष)	प्रथम श्रेणी में बी.ई./बी.टेक./बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी। अथवा एम.सी.ए./एम.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, प्रथम श्रेणी में भौतिक शास्त्र/गणित/ सांख्यिकीय/ऑपरेशन रिसर्च/ अर्थशास्त्र / कम्प्यूटर साइंस में एम. एस.सी./एम.ए. या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी। अथवा बी.सी.ए./बी.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, प्रथम श्रेणी में भौतिक शास्त्र/गणित/ सांख्यिकीय/ ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि/ बी.एस.सी./बी.ए. कम्प्यूटर साइंस/ कम्प्यूटर साइंस में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी।	
3	डाटा एन्ट्री आपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । अथवा कक्षा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी और अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
4	सहायक ग्रेड–तीन	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण । अथवा पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा के साथ किंसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र	

				(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
5	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । (2) अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
6	वाहन चालक	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ड्रायविंग लाइसेंस. (3) हल्के/भारी मोटर यान चलाने का एक वर्ष का अनुभव ।	
7	भृत्य/चौकीदार	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी के लिये 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/मण्डल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	
8	फर्राश	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी के लिये 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/मण्डल से पाचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	

अनुसूची– चार
(नियम 14 देखिए)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति की पात्रता हेतु न्यूनतम अनुभव की अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शीघ्रलेखक	निज सहायक	5 वर्ष	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य	
2.	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर)	5 वर्ष	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य	
3.	सहायक ग्रेड–दो	सहायक ग्रेड–एक	5 वर्ष	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य	
4.	सहायक ग्रेड–तीन	सहायक ग्रेड–दो	5 वर्ष	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य	
5.	भृत्य	सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नामांकित सदस्य	

टीप :– (1) चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी सदस्य की अनुपलब्धता की दशा में, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य विभाग/कार्यालय से इन वर्गो के किसी एक सदस्य को नामांकित कर सकेगा ।

(2) सीधी भर्ती की दशा में, अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी है के लिए, उच्चतर आयु सीमा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 2-25/2006/1-13.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-25/2006/1-13, दिनांक 19-07-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर-सचिव.

Naya Raipur, the 19th July 2018

NOTIFICATION

No. F 2-25/2006/1-13. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Information Commission (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2009, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In preamble, before the word "information" and after the word "Chhattisgarh", the word "State" shall be inserted.

2. In rule 1, in sub-rule (1), before the word "information" and after the word "Chhattisgarh", the word "State" shall be inserted.

3. For Schedule-I, II, III and IV, the following shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE - I

(See rule 5)

S. No.	Name of post included in the service	Total number of duty posts	Classification	Pay Matrix	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Personal Assistant	05	Class – III	Pay Matrix Level-9	
2	Assistant Grade-I	04	Class – III	Pay Matrix Level-9	
3	Assistant Programmer	01	Class – III	Pay Matrix Level-9	
4	Stenographer	04	Class – III	Pay Matrix Level-7	

5	Assistant Grade-II	04	Class – III	Pay Matrix Level-6	
6	Data Entry Operator	02	Class – III	Pay Matrix Level-6	
7	Assistant Grade-III	07	Class – III	Pay Matrix Level-4	
8	Steno Typist	01	Class – III	Pay Matrix Level-4	
9	Driver	08	Class – III	Pay Matrix Level-4	
10	Peon	15	Class – IV	Pay Matrix Level-1	
11	Watchman	01	Class – IV	Pay Matrix Level-1	
12	Farrash	02	Class – IV	Pay Matrix Level-1	
	Total	**54**			

SCHEDULE - II
(See rule 6)

S.No	Name of the posts included in the service	Total number of duty post	Percentage of number of duty post to be filled in			Remarks
			By direct recruitment (See rule 6(1)(a))	By promotion of member of service (See rule 6(1)(b))	By deputation or transfer of persons of other services (See rule 6(1)(c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Personal Assistant	05	-	100%	-	In case of non-availability of suitable candidate for promotion, the post shall be filled by Deputaion/on contract basis.
2.	Assistant Grade-I	04	-	100%	-	In case of non availability of suitable candidate for promotion, the post shall be filled by Deputaion/on contract basis.

3.	Assistant Programmer	01	100%	-	-	By Direct recruitment /Deputation.
4.	Stenographer	04	75%	25%	-	Direct recruitment /Promotion/ Deputaion/on contract basis.
5.	Assistant Grade - II	04	-	100%	-	In case of non availability of suitable candidate for promotion, the post shall be filled by Deputaion/on contract basis.
6.	Data Entry Operator	02	100%	-	-	Direct recruitment / Deputaion/ on contract basis.
7.	Assistant Grade-III	07	75%	25% (Passed 10+2 or 12th examination from any recognized Board)	-	Direct recruitment / Deputaion/ on contract basis.
8.	Steno Typist	01	100%	-	-	Direct recruitment / Deputaion/ on contract basis.
9.	Driver	08	100%	-	-	Direct recruitment / Deputaion/ on contract basis.
10.	Peon	15	100%	-	-	Direct recruitment / Deputaion/ on contract basis.
11.	Watchman	01	100%	-	-	Direct recruitment / Deputaion/ on contract basis.
12.	Farrash	02	100%	-	-	(1)Direct recruitment / Deputaion/ on contract basis. (2) One post of Farrash shall be filled by Collectorate rate.

SCHEDULE - III
(See rule 8)

S. No.	Name of the service/ post	Age		Prescribed Educational Qualification	Remarks
		Minimum Age Limit	Maximum Age Limit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Stenographer	18 years	30 years (35 years for domicile resident	(1)Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year	

			of Chhattis garh State)	examination of Graduation Course from any recognized University. (2)From any recognized Board/ Institute/ Stenography (Shorthand) Typing Council :- (a) For Stenographer (Hindi)- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) For Stenographer (English)- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (c) For Bilingual Stenographer- Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3)One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
2.	Assistant Programmer	21 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattis garh State)	B.E./B.Tech/B.Sc.(Engineering) in 1st division or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade. Or Post Graduate in M.C.A./ M.C.M./Information Technology, M.Sc./ M.A. in first division in Physics/Mathematics/Statistics/ Operation Research/ Economics /Computer Science or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade.	

				Or Graduate in B.C.A./B.C.M./ Information Technology, Post Graduation Degree in 1st division in Physics/ Mathematics/ Statistics /Operation Research/ Economics/ B.Sc./B.A. Computer Science/ Post Graduate Diploma in Computer Applicaiton in Computer Science or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade.	
3.	Data Entry Operator	21 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).	
4.	Assistant Grade III	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).	

5.	Steno-Typist	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattis garh State)	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
6.	Driver	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattis garh State)	(1) Should have passed 8th Class examination. (2) Valid Driving license issued by the Competent Authority. (3) One year experience of Driving light/ heavy motor vehicle	
7.	Peon/ Chowkidar	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattis garh State)	Should have passed VIIIth class from recognized Institution/ Board.	
8.	Farrash	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattis garh State)	Should have passed Vth class from recognized Institution/ Board.	

SCHEDULE-IV
(See rule 14)

S. No.	Name of service or posts from which promotion is to be made	Name of service or posts to which Promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for promotion	Name of member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Stenographer	Private Assitant	5 years	Members nominated by State Chief Information Commissioner.	
2.	Steno Typist	Stenographer	5 years	Members nominated by State Chief Information Commissioner.	
3.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 years	Members nominated by State Chief Information Commissioner.	
4.	Assistant Grade- III	Assistant Grade-II	5 years	Members nominated by State Chief Information Commissioner.	
5.	Peon	Assistant Grade- III	5 years	Members nominated by State Chief Information Commissioner.	

NOTE :-(1) In the case of not availablity of any member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backword Classes in Selection Committee, the State Chief In formation Commissioner may nominate any one member of these classes from other department/office.

(2) In case of direct recruitment, the upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Additional Secretary.

Naya Raipur, the 19th July 2018

CORRIGENDUM

No. F 2-25/2006/1-13. — In English version of Notification No. F 2-25/2006/1-RTI, dated 31st December, 2009 issued under the Chhattisgarh Information Commission, (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2009, as published in Chhattisgarh Gazette (Extra Ordinary), dated 31st December, 2009, in rule 2, in clause (j), the words "Chhattisgarh Information Commission Service" read as "Chhattisgarh State Information Commission Service".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.